

CIRCULAR/NOTIFICATION Type: INTERNAL (Internal/External)CIRCULAR/NOTIFICATION No.: CIL-INT-CIR/17/034/01 (Eg. HAC-INT-CIR/09/001/01)Authority by whom Issued: CIL-CEO (HAC-CEO)Sign of issuing Authority: 

Subject/विषय: Amendment in Sub - Clause 2 (12) of Clause 07/005/01 of CONSAM Constitution dealing with Primary* Monthly Calculation of Salary/कॉनसम संविधान की धारा 07/005/01 के उप - खंड 2 (12) वेतन की मासिक गणना (प्राइमरी*) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महाशर्यो,

उपरोक्त विषयक कहना है की कॉनसम संविधान की धारा 07/005/01 के उप - खंड 2 (12) जो वेतन की मासिक गणना (प्राइमरी*) के सम्बंधित है में दिनांक 01/04/2017 से निम्नांकित संशोधन किया जाता है ताकि अनेकानेक कर्मचारियों के वेतन गणना को सुलभ बनाया जा सके एवं कॉनसम के उद्देश्य के अनुसार अधिक कार्य करने वाले कर्मचारियों को लाभ पहुँच सके:

Primary* Monthly Calculation of Salary/वेतन की मासिक गणना (प्राइमरी*): An Employee's Monthly Salary shall be calculated on Gross Monthly Salary divided by No. of days in the month minus weekly off (i.e. Sundays) x no. of days present. Whereas no. of days present shall be Physical Presence*** + holidays falling in between excluding weekly off whereas in case an employee is not present one day before or after a holiday; such holiday shall not be considered. In case an employee is present on holidays (Sundays and/or Notified Holidays); he/she shall be eligible for extra payment for working on holidays/एक कर्मचारी का मासिक वेतन, सकल - वेतन को महीने के दिनों में से साप्ताहिक छुट्टी को घटाने के बाद शेष दिनों से विभाजित करने के उपरांत उपस्थिति के दिनों से गुणा कर निकाला जाएगा! जबकि उपस्थिति के दिनों की संख्या एक कर्मचारी का वास्तविक - उपस्थिति*** + छुट्टियाँ जो बीच में पड़ती हैं होंगी जिसमें साप्ताहिक छुट्टी को नहीं जोड़ा जाएगा जबकि इस स्थिति में अगर एक कर्मचारी छुट्टी के एक दिन पहले या एक दिन बाद उपस्थित न हों तब उक्त छुट्टी की गिनती नहीं की जाएगी! इस स्थिति में जब एक कर्मचारी छुट्टी के दिन उपस्थित है (रविवार एवं/या अधिसूचित छुट्टी); वह तब अतिरिक्त दिनों के भुगतान के लिए योग्य होगा!

सधन्यवाद!

